



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 ज्येष्ठ, 1944 (श०)

संख्या - 253 राँची, सोमवार,

30 मई, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

23 मई, 2022

संख्या-1/पी०-1022/2000 का०-3196--मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी, राँची के पद पर पदस्थापित श्री सूरज कुमार, भा.प्र.से. (झा:2013) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनीय प्रशासनिक कोटि के वेतनमान (लेवल-12) में दिनांक 01.01.2022 के प्रभाव से प्रोन्नति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वे अगले दो वर्षों में आयोजित होने वाले MCT Phase-3 का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लेंगे ।

2. श्री कुमार प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक अपने वर्तमान पद पर प्रोन्नत वेतनमान में बने रहेंगे ।

संख्या-1/पी०-1022/2000 का०-3197--निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित सुश्री आकांक्षा रंजन, भा.प्र.से. (झा:2013) (अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक, झारखण्ड अन्वेषण एवं खनन निगम लि०, राँची तथा प्रबंध निदेशक, झारक्रॉफ्ट, राँची) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनीय प्रशासनिक कोटि के वेतनमान (लेवल-12) में दिनांक 01.01.2022 के प्रभाव से प्रोन्नति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वे अगले दो वर्षों में आयोजित होने वाले MCT Phase-3 का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लेंगी ।

2. सुश्री रंजन प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक अपने वर्तमान पद पर प्रोन्नत वेतनमान में बनी रहेंगी ।

संख्या-1/पी०-1022/2000 का०-3198--अभियान निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री आदित्य कुमार आनन्द, भा.प्र.से. (झा:2013) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनीय प्रशासनिक कोटि के वेतनमान (लेवल-12) में दिनांक 01.01.2022 के प्रभाव से प्रोन्नति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वे अगले दो वर्षों में आयोजित होने वाले MCT Phase -3 का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लेंगे ।

2. श्री आनन्द प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक अपने वर्तमान पद पर प्रोन्नत वेतनमान में बने रहेंगे।

संख्या-1/पी०-1022/2000 का०-3199--निदेशक, खेलकूद, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री जिशान कमर, भा.प्र.से. (झा:2013) (अतिरिक्त प्रभार- परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनीय प्रशासनिक कोटि के वेतनमान (लेवल-12) में दिनांक 01.01.2022 के प्रभाव से प्रोन्नति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वे अगले दो वर्षों में आयोजित होने वाले MCT Phase-3 का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लेंगे ।

2. श्री कमर प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक अपने वर्तमान पद पर प्रोन्नत वेतनमान में बने रहेंगे ।

संख्या-1/पी०-1022/2000 का०-3200--निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री मृत्युंजय कुमार बरणवाल, भा.प्र.से. (झा:2013) (अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक, झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एण्ड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन लि०, राँची) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनीय प्रशासनिक कोटि के वेतनमान (लेवल-12) में दिनांक 01.01.2022 के प्रभाव से प्रोन्नति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वे अगले दो वर्षों में आयोजित होने वाले MCT Phase-3 का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लेंगे ।

2. श्री बरणवाल प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक अपने वर्तमान पद पर प्रोन्नत वेतनमान में बने रहेंगे ।

संख्या-1/पी०-1022/2000 का०-3201--उपायुक्त, पलामू के पद पर पदस्थापित श्री शशि रंजन, भा.प्र.से. (झा:2013) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनीय प्रशासनिक कोटि के वेतनमान (लेवल-12) में दिनांक 01.01.2022 के प्रभाव से प्रोन्नति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वे अगले दो वर्षों में आयोजित होने वाले MCT Phase-3 का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लेंगे ।

2. श्री रंजन प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक अपने वर्तमान पद पर प्रोन्नत वेतनमान में बने रहेंगे ।

संख्या-1/पी०-1022/2000 का०-3202--राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती किरण कुमारी पासी, भा.प्र.से. (झा:2013) (अतिरिक्त प्रभार- निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकार, झारखण्ड तथा निदेशक, झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (JCERT)) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनीय प्रशासनिक कोटि के वेतनमान (लेवल-12) में दिनांक 01.01.2022 के प्रभाव से प्रोन्नति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वे अगले दो वर्षों में आयोजित होने वाले MCT Phase-3 का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लेंगी ।

2. श्रीमती पासी प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक अपने वर्तमान पद पर प्रोन्नत वेतनमान में बनी रहेंगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।
